XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 801–पीबीआर/15 जिला – इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि वह जिस भूमि को विक्रय कर रहा है वह बहूमूल्य सिंचित भूमि है तथा बदले में जो भूमि क्रय कर रहा है वह 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है । उक्त आधार पर अपर कलेक्टर ने भूमि विक्रय की अनुमति देना आदिवासी के हित में नहीं माना है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का भूमि विक्रय की अनुमति न दिए जाने संबंधी आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत होता है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

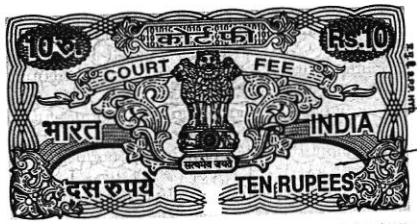

निगरानी 801-PBR-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2015–इन्दौर

रमेश पुत्र जगन्नाथ भील, निवासी–ग्राम कोडिया, तहसील–महूँ, जिला–इन्दौर

..... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन ..... अनावेदक

श्री कुंवर सिंह एड. द्वारा आज दि. 15-4-15 को प्रस्तुत
15-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर इन्दौर के प्र.क्र. 09/अ–21/2014–15 आदेश दिनांक 30.10.2014 को पारित जिनकी नकल दिनांक 21.01.2015 को प्राप्त हुई।

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदनपत्र के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

निगरानी के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आर.आई. पटवारी से जांचोपरान्त प्रतिवेदन मांगा, प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया जिसमें उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति का प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

15/4/15

4. यह कि, उक्त प्रतिवेदन के साथ कथन [redacted] लिये उस पर भी बिना विचार किये जो आदेश पारित किया वह स्थिर रहने योग्य नहीं है।